

मांग संख्या 01

मुख्य शीर्ष 2012

मद क्रमांक 1 - 2

राजभवन सचिवालय के अंतर्गत यात्रा भत्ता हेतु राशि रुपये 6.00 लाख एवं व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियों में रुपये 4.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 4

राजभवन सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी में फर्नीचर व्यय हेतु राशि रुपये 5.00 लाख एवं उपकरण हेतु रुपये 2.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

राजभवन सचिवालय के हाउस होल्ड अंतर्गत यात्रा व्यय हेतु राशि रुपये 10.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

राजभवन सचिवालय में खान-पान व्यवस्था में आतिथ्य व्यय हेतु राशि रुपये 5.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

राजभवन सचिवालय में शासकीय केन्द्रीय आवासों की साज-सज्जा के अंतर्गत (शासकीय आवासों की साज-सज्जा) राशि रुपये 6.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 - 9

राजभवन सचिवालय यात्रा व्यय के अंतर्गत नवीन वाहन का क्रय एवं वाहन प्रतिस्थापन सहित राशि रुपये 59.50 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 59,50,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2013

मद क्रमांक 10 - 14

मंति-परिषद के अंतर्गत पूर्व मुख्यमंत्रियों को मानदेय तथा भत्तों हेतु राशि रुपये 50.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

मंत्रियों द्वारा सहायता अनुदान के अंतर्गत, जनसंपर्क दौरा के लिये प्रति विधानसभा क्षेत्र 2.75 लाख के मान से 230 विधान सभा क्षेत्र हेतु कुल राशि रुपये 432.50 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,32,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 16

सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मंत्रालय में ई-ऑफिस ऑटोमेशन व्यवस्था हेतु राशि रुपये 5.50 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 17

नई दिल्ली में प्रस्तावित मध्यांचल भवन के विस्तार के लिये 1186.43 वर्ग मीटर भूमि के क्रय हेतु राशि रुपये 365.76 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,65,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1 - 20

राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहनी की स्थापना के विभिन्न मदों में राशि रुपये 65.12 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 65,12,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21 - 22

नवगठित 36 वीं भारत रक्षित वाहिनी वि. बल बालाघाट हेतु नवीन वाहनों का क्रय एवं शस्त्र और गोला बारूद मद में राशि रुपये 3.08 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,08,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23

पुलिस परेड ग्राउण्ड बाउण्ड्री बाल निर्माण के लिये राशि रुपये 163.83 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,63,83,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 04

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1 - 4

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत सशक्तिकरण के सफल कार्यान्वयन हेतु अन्य आकस्मिक व्यय, कार्यालय उपकरणों का क्रय, विशेष सेवाओं के लिये मानदेय एवं परिवहन व्यवस्था हेतु राशि रुपये 1.087 करोड़ के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,08,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3454

मद क्रमांक 5

गृह विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) डाटा एन्ट्री का कार्य हेतु राशि 1104.09 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,04,09,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06
मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1 - 4

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अध्यक्ष के लिये एक नवीन वाहन क्रय हेतु राशि रुपये 10.00 लाख एवं सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था तथा स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण प्रत्येक मद में रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2054

मद क्रमांक 5

संचालनालय कोष एवं लेखा में संविदा कर्मचारियों को पारिश्रमिक देने हेतु नवीन मद खोला जाना है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2075

मद क्रमांक 6 - 7

संभागीय पेंशन कार्यालय, भोपाल एवं जिला पेंशन कार्यालय सीहोर हेतु भवनों के अनुरक्षण एवं सुधार कार्य के लिये राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। व्यय की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 07

मुख्य शीर्ष 2043

मद क्रमांक 1 - 54

वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के लिये राज्य वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण हेतु अनुसूची में दर्शित विभिन्न विस्तृत शीर्ष हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 55 - 62

वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के लिये राज्य वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण हेतु अनुसूची में दर्शित विभिन्न विस्तृत शीर्ष हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 800 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 63 - 110

वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के लिये राज्य वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण हेतु अनुसूची में दर्शित विभिन्न विस्तृत शीर्ष हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4700 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान एवं डिक्लीथन के भुगतान हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 10

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1

म.प्र. राज्य बांस मिशन को अनुदान हेतु रुपये 205.58 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,05,58,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

जू एवं रेस्क्यू सेन्टर की स्थापना हेतु रुपये 8.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 11
मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 1

वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग के अंतर्गत म.प्र. व्यापार संवर्धन मंडल का गठन किया गया है। उक्त नवीन योजना के लिये राशि रुपये 50.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1,3,5

टैरिफ सब्सिडी मद में सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत विद्युत वितरण कंपनियों के लिये राशि रुपये 595.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 595,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2,4

निःशुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति मद सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत विद्युत वितरण कंपनियों के लिये राशि रुपये 210.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 6

पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना जायका, जापान सहायित बाह्य पोषित परियोजना के अंतर्गत ऋण राशि को अंशपूजी में परिवर्तित करने हेतु राशि रुपये 145.30 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1 - 13

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की नवीन योजना कृषि वानिकी सब मिशन के लिये प्रत्येक विस्तृत शीर्ष हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अंतर्गत बाजार मूल्य स्थिरीकरण निधि की स्थापना हेतु राशि रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 14
मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 1 - 2

चिकित्सालयों एवं पशु औषधालयों का सुदृढीकरण अंतर्गत कुल रुपये 16.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 4

प्रदेश के समस्त गौवंशीय एवं भैसवंशीय पशुओं का एम.एम.डी. टीकाकरण, एम.एम.डी.सी.पी. कार्यक्रम अंतर्गत कुल 2668.33 लाख का व्यय टीकाद्रव्य, टीकाकरण सामग्री, सीरो किट्स एवं सैम्पल हेतु आवश्यक सामग्री के लिये व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 26,68,33,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

पशुओं की पहचान एवं ट्रैसेबिलिटी विशेष यू.आई.डी. टैग्स के माध्यम से पशु संजीवनी केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत कुल रुपये 250.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 - 7

आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया सम्मान योजना अंतर्गत जीव दया से संबंधित संस्थानों/संगठनों हेतु पुरस्कार एवं राज्य स्तरीय समारोह आयोजन हेतु राशि रुपये 11.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4403

मद क्रमांक 8

पशु चिकित्सालयों एवं पशु औषधालयों का सुदृढीकरण अंतर्गत कुल रुपये 80.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 17

मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 1

म.प्र. विपणन संघ द्वारा प्याज खरीदी में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 580.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,80,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 18

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1-4,6

श्रम विभाग के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें हेतु कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, प्रशासन, राज्य बीमा अस्ताल हेतु राशि रुपये 500 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

श्रम विभाग के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें योजना प्रशासन के लिये वाहन क्रय किये जाने हेतु रुपये 7.40 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 7

श्रम विभाग के अंतर्गत श्रमायुक्त को बंधक श्रमिकों की पुनर्वास योजना हेतु राशि रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

श्रम विभाग के अंतर्गत श्रमायुक्त को असंगठित कर्मकार मंडल शहरी/ग्रामीण योजना हेतु प्रशासनिक व्यय वेतन, कार्यालयीन व्यय हेतु रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 21

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रबंधन के अंतर्गत माँय एम.पी. प्रकोष्ठ के क्रियान्वयन हेतु सहायक अनुदान के रुप में राशि रुपये 2.50 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 22

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1 - 3

तरुण पुष्कर योजना अंतर्गत कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों को वेतन भत्ते हेतु रुपये 300 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

म.प्र. सफाई कामगार आयोग का गठन अंतर्गत वेतन भत्ते हेतु राशि रुपये 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डूडा/सूडा) अंतर्गत अनुदान हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

प्रधानमंत्री आवास योजना (हाउसिंग फार आल) अंतर्गत अनुदान हेतु केन्द्रांश राशि रुपये 559.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,59,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4217

मद क्रमांक 7

मंत्रालय विस्तार परियोजना के अंतर्गत रुपये 76.91 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 76,91,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत अंशपूजी एवं धनवेष्टन में राशि रुपये 700.00 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है। अंशपूजी मद पूंजीगत स्वरूप की है अतः पूर्व से उपलब्ध राजस्व मद की राशि रुपये 410.00 करोड़ को समर्पित किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6217

मद क्रमांक 9

विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों को अनुदान योजना अंतर्गत ऋण तथा अग्रिम के रूप में राशि रुपये 1.32 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,32,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

हुकुमचंद मिल इंदौर के लिये आफिशियल लिक्विडेटर के समक्ष जमा किये जाने हेतु ऋण तथा अग्रिम में आकस्मिकता निधि से प्रदाय अग्रिम राशि रुपये 50.00 करोड़ के समायोजन हेतु रुपये 50.00 करोड़ के प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 23

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1

निम्न वृहद परियोजना हेतु राशि रुपये 423400.00 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

क्र. योजना का नाम जिला लागत (लाख में) सिंचाई क्षमता प्रति हेक्टर लागत अनुदान राशि (हेक्टेयर में)

1. टिकटोली वितरिका ग्वालियर 423400 3170 133.56 100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 2

भाम (राजगढ़) मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु राशि रुपये 22811.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु राशि रुपये 16247.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

कडान मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु राशि रुपये 38579.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

सतधारू मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु राशि रुपये 31565.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु राशि रुपये 16508.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

डिण्डोरी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु राशि रुपये 34808.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

करंजिया मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु राशि रुपये 13200.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हेतु राशि रुपये 11678.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 10

आदिवासी क्षेत्र की निम्नांकित योजनाओं हेतु राशि रुपये 7567.04 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

क्र.	योजना का नाम	जिला	लागत	सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर में)	प्रति हेक्टर लागत	अनुदान की राशि
1.	अन्तरिया तालाब	उमरिया	2164.89	625	3.46	100
2.	कलमनिया तालाब	शहडोल	1632.23	470	3.47	100
3.	रातगढ़ संचित तालाब	बुरहानपुर	451.62	285	1.58	100
4.	रोशिया तालाब	खरगौन	3318.30	955	3.47	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

लछौरा बाढ़ नियंत्रण योजना हेतु राशि रुपये 163.03 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूर्क अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1

वृहद पुलों के निर्माण अंतर्गत निम्नानुसार 23 कार्य शामिल किये जाना है।

क्र०	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अनुदान की राशि
1	श्यापुर	श्यापुर जिले में दांतरदा जैनी मार्ग के किमी 0 6/8 में बागड नाले पर जलमग्नीय पुल का निर्माण।	181.10	100
2	जबलपुर	जबलपुर जिले में देवनगर खिन्नी (तिंदनी) मुरैठ मार्ग में हिरन नदी पर पहुँच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	602.85	100
3	खरगोन	खरगोन जिले में खरगोन बड़वानी राजमार्ग क्रमांक 26 के कि. मी. 119/4 में पहुँच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	356.31	100
4	खरगोन	खरगोन जिले में खरगोन बड़वानी राजमार्ग क्रमांक 26 के कि. मी. 103/8 में पहुँच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	370.04	100
5	खरगोन	खरगोन जिले में खरगोन बड़वानी राजमार्ग क्रमांक 26 के कि. मी. 109/10 में पहुँच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	460.22	100
6	खरगोन	खरगोन जिले में खरगोन बड़वानी राजमार्ग क्रमांक 26 के कि. मी. 109/2 में पहुँच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	373.65	100
7	खण्डवा	खण्डवा जिले में खण्डवा आशापुर बैतूल राज्य मार्ग क्र. 26 कि. मी. 35/2 में गंगापाट नदी पर पहुँच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	844.80	100
8	खण्डवा	खण्डवा जिले में खण्डवा आशापुर बैतूल राज्य मार्ग क्र. 26 कि. मी. 25/2 में पिपराड नदी पर पहुँच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	581.66	100
9	पन्ना	पन्ना जिले के खम्हरिया बरखेड़ा महोड़ मार्ग में बुडनईया नाले पर जलमग्नीय पुल निर्माण, पहुँच मार्ग एवं प्रोटेक्शन कार्य सहित	314.87	100
10	टीकमगढ़	टीकमगढ़ जिले के गुना महेबा चक-4 से खैरी मार्ग में सुखनई नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण पहुँच मार्ग एवं प्रोटेक्शन कार्य सहित	238.19	100
11	खण्डवा	खण्डवा जिले में बरुड़ सोनखेड़ी रोशनी मार्ग के कि. मी. 29/8-10 में ग्राम इटवा के पास स्थित घोड़ापछाड़ नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण	458.79	100
12	उज्जैन	उज्जैन जिले में सुरेल संडावदा मदगनी पिपलोदा बागला माग्र के कि. मी. 16/6 में चम्बल नदी पर पहुँच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण	726.21	100
13	कटनी	कटनी जिले के अंतर्गत कटनी शहर में आजाद चौक से कैलवारा फाटक मार्ग में कटनी नदी (गाटरघाट) पर पहुँच मार्ग सहित बॉक्सटाईप जलमग्नीय पुल का निर्माण	295.90	100
14	उमरिया	उमरिया जिले के बड़ी मोहनी से रहठा मार्ग पर चिल्हाघाट पर घोरछठ नदी पर पहुँच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	195.45	100
15	उज्जैन	उज्जैन जिले में भेरुपुरा से कायथा मार्ग पर छोटी कालीसिंध नदी पर पहुँच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण	250.22	100

16	रायसेन	रायसेन जिले में देहगौव-बम्होरी मार्ग के किमी0 6 पर बोरपानी नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	103.56	100
17	रायसेन	रायसेन जिले में देहगौव-बम्होरी मार्ग के किमी0 10 पर सूकर नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	104.11	100
18	रायसेन	रायसेन जिले में डुगरिया प्रतापगढ मार्ग पर गजुन्दा नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण।	140.00	100
19	बुरहानपुर	बुरहानपुर जिले में रेहटा नीमगांव मार्ग पर स्थित मोहना नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण।	243.96	100
20	रीवा	रीवा जिले में गुढ चंदेरी मार्ग में बिछिया नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण।	199.16	100
21	देवास	देवास जिले में नेमावर कुंडगांवखुर्द मुरझाल मार्ग पर जामनेर नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण।	450.00	100
22	खरगोन	खरगोन जिले में भोगावा निपानी से भोगावा सिपानी मार्ग के किमी 05/10 में खरकल नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण	300.00	100
23	खरगोन	खरगोन जिले में बोरगांव से खारवी मार्ग के किमी0 1/2 में नाले पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण।	193.90	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रु 2300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

वृहद पुलों के निर्माण अंतर्गत निम्नानुसार 5 कार्य शामिल किये जाना है।

क्र०	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अनुदान की राशि
1	सतना	सतना जिले में कुर्मिहाई सेमरी सहिजना मार्ग में करारी नाला पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण।	123.52	100
2	बडवानी	बडवानी जिले में बलवाडी धवली मार्ग में किमी0 13/2 में जामठी नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	303.17	100
3	खण्डवा	खण्डवा जिले में खण्डवा-आशापुर बैतूल राज्यमार्ग क्र० 26 के किमी0 17/10 में छोटी तवा नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	949.65	100
4	विदिशा	विदिशा जिले में बासौदा शहर में बासौदा-सिरोंज मार्ग पर पारासरी नदी पर पुल का चौडीकरण कार्य।	168.02	100
5	खण्डवा	खण्डवा जिले में रोशनी पिपल्या भोजु, मामाडोह, पलासपुर, भोजुडाना मार्ग के किमी0 2/10 में स्थित घोडापछाड नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण।	380.81	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रु 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

वृहद पुलों के निर्माण अंतर्गत निम्नानुसार 1 कार्य शामिल किये जाना है।

क्र०	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अनुदान की राशि
1	खण्डवा	खण्डवा जिले में खण्डवा आशापुर बैतूल राज्य मार्ग क्र. 26 के कि. मी. 40/4 में अग्नि नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	1526.31	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रु 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित) निम्नानुसार 40 कार्य शामिल किये जाना है।

क्र०	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अनुदान की राशि	
1	रायसेन	विठोरी से दाहोद व्हाया पडोनिया मार्ग	6.50	491.04	100
2	रायसेन	सुल्तानपुर से ताड़ी मार्ग	5.10	344.79	100
3	रायसेन	बेगमगंज सागर मार्ग से ककरूआ झिरिया खजुरिया बरामदगढ़ी पेखलोन मार्ग	11.40	879.48	100
4	आगर मालवा	खेलागांव से बिजनाखेड़ी मार्ग	2.80	201.30	100
5	नीमच	ग्वातालाब से जीरन अरनियाबोरान मार्ग	8.30	485.36	100
6	नीमच	पलसीदा पिपलियाव्यास रातिदिया मार्ग	7.80	488.26	100
7	नीमच	अमरपुरा से केदारेश्वर मार्ग	7.00	590.19	100
8	इंदौर	अहीरखेड़ी से सुखनिवास मार्ग	1.50	136.32	100
9	आगर	थड़ोद से गुन्दलीकला मार्ग	3.60	230.54	100
10	उज्जैन	दोत्रु से पलासिया पार मार्ग	1.70	143.83	100
11	टीकमगढ़	टीकमगढ़ नया बस स्टैण्ड से टीकमगढ़ सागर मार्ग	4.40	822.89	100
12	टीकमगढ़	पहाड़ीखुर्द से बरोसा घाट मार्ग	3.40	323.10	100
13	श्योपुर	बगदिया से बगदरी मार्ग	3.00	184.30	100
14	आगर मालवा	सालरिया गांव से गौ-अभयारण पहुँच मार्ग	4.20	236.60	100
15	सागर	केन्ट पटकुई मार्ग के कि. मी. 3/6 (ए) एवं 4/6, मी. 3/4 एवं 3/6 (बी), 2/2, 2/8 एवं 4/4 पर पुलियों का निर्माण	0.00	238.18	100
16	दमोह	सेमरा तिगड़डा से जोरतला पुरा मार्ग	6.00	394.10	100
17	कटनी	सकरीगढ़ से भदौरा स्टेशन तक मार्ग	4.10	221.42	100
18	शाजापुर	हड़लायखुर्द से लसुड़ियामलक मार्ग	2.70	263.61	100
19	शाजापुर	अकोदिया बायपास मार्ग	2.50	178.81	100
20	शाजापुर	तिलावद गोविंद से आक्या चौहान मार्ग	11.00	689.27	100
21	भिण्ड	मढ़ेपुरा से सायेपुरा मार्ग	6.00	291.15	100
22	भिण्ड	कृपे का पुरा से चपरा पहुच मार्ग	2.40	129.46	100
23	भिण्ड	नुन्हाड़ से अशोखर मार्ग	4.20	212.36	100
24	इंदौर	दामपुरा से हरसोला आंतरिक मार्ग से अमरेश्वर महादेव मंदिर तक मार्ग	3.00	297.02	100
25	इंदौर	चोरल डेम से मेणगांव मार्ग	3.00	145.29	100
26	रायसेन	एस.एच. 15 से बसा - धामनपानी-कुचवाडा-किटुआ	10.90	842.29	100
27	उज्जैन	लालपुर ब्यावरा मार्ग	2.39	148.25	100
28	उज्जैन	बुरानाबाद से बेडावन्या रेल्वे स्टेशन मार्ग	3.10	156.40	100
29	देवास	देवास शहर के नहार दरवाजा से राजवाड़ा रोड़	1.30	193.22	100
30	नीमच	जनकपुर से पानोली मार्ग	3.20	170.46	100
31	राजगढ़	कोड़किया पहुच मार्ग	1.10	122.28	100
32	देवास	पुष्पगिरी से बीसाखेड़ी मार्ग	3.00	117.72	100
33	छिन्दवाडा	पार्दुना नागपुर अन्तर्राज्जीय मार्ग से बडचिचोली ढाना पहुच मार्ग	3.60	121.50	100
34	बड़वानी	गोई झोपाली निहाली (मटलीफाटा) मार्ग	16.08	1288.48	100
35	भोपाल	नीलबड़ से शारदा विहार मार्ग	3.00	384.57	100
36	शिवपुरी	माधवराव सिंधिया मार्ग	4.21	935.58	100
37	इंदौर	सी. आर. एफ. योजनांतर्गत बरलई जागीर मुंडला हुसैन धनखेड़ी फाटा से धनखेड़ी जैतपुरा मार्ग पर भूअर्जन	0.00	499.50	100
38	बैतूल	मुलताई आठनेर भैंसदेही मार्ग के पोल शिपिटिंग कार्य	0.00	311.92	100

39	बैतूल	बैतूल से आमला बोरदेही बांसखापा मार्ग के पोल शिपिटिंग कार्य	0.00	404.34	100
40	जबलपुर	बरेला महगांव कुकरीखेडा मार्ग	4.00	254.40	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रु 4000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित) निम्नानुसार 1 कार्य शामिल किये जाना है।

क्र०	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अनुदान की राशि	
1	दमोह	बनगांव भगवा रामपुर बड़ागांव मार्ग	7.00	412.29	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रु 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित) निम्नानुसार 4 कार्य शामिल किये जाना है।

क्र०	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अनुदान की राशि	
1	छिंदवाड़ा	मुजावर से अपतरा मार्ग	2.30	131.10	100
2	बालाघाट	टेमनी से चौंदाटोला पिपलगांव मार्ग	4.30	188.64	100
3	बड़वानी	बुदरा से कासेल मार्ग	2.50	122.73	100
4	शिवपुरी	बाईपास से सर्किट हाउस तक सीवर लाईन से ध्वस्त मार्ग का पुनर्निमाण	0.60	177.63	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रु 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 25
मुख्य शीर्ष 4853

मद क्रमांक 1

खनिज साधन विभाग के अंतर्गत 4 नवीन ट्रक एवं 3 ट्रेक्टरमय ट्राली/टैंकर क्रय किये जाने हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 28
मुख्य शीर्ष 2011

मद क्रमांक 1 - 2

म.प्र. विधान सभा सचिवालय की योजना सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य में कार्यालयीन उपकरण एवं व्यवसायिक सेवाओं की अदायगियों हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 29
मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

माननीय उच्च न्यायालय के लिये 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत केपीसिटी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन एण्ड डेव्हलपमेन्ट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर, फर्नीचर ईक्यूपमेंट ई.टी.सी. हेतु राशि रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 4

माननीय उच्च न्यायालय के लिये 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत उच्च न्यायालय में कम्प्यूटराईजेशन हेतु फर्नीचर क्रय, कार्यालय उपकरणों का क्रय एवं व्यवसायिक सेवाओं की अदायगियों के लिये राशि रुपये 6.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

माननीय उच्च न्यायालय हेतु सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन सी.टी.व्ही. कैमरा उपकरण क्रय हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 6

विधि एवं विधायी (विधि निर्वाचन) कार्य हेतु निर्वाचक नामावली की तैयारी के लिये अन्य प्रभार मद हेतु रुपये 13.20 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 7

विधि एवं विधायी कार्य विभाग के मान. विधि मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव विधि के उपयोग के लिये वाहन क्रय हेतु रुपये 9.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 31

मुख्य शीर्ष 3454

मद क्रमांक 1

राजीव आवास योजना अंतर्गत राशि रुपये 95.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 95,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 2

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत राशि रुपये 876.84 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,76,84,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत राशि रुपये 1193.71 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,93,71,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 33
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

आयुक्त आदिवासी विकास के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति अंतर्गत अत्याचार निवारण/अधिनियम/पुर्नवास सहायता हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 5.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 2

आयुक्त आदिवासी विकास के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 30.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

आयुक्त आदिवासी विकास के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के छात्रावास एवं कन्या शिक्षा परिसर भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 20.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 35
मुख्य शीर्ष 4851

मद क्रमांक 1

आटों टेस्टिंग ट्रेक योजना अंतर्गत मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन हेतु लंबित प्रकरणों के भुगतान किये जाने हेतु राशि रुपये 150.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 37
मुख्य शीर्ष 3452

मद क्रमांक 1

प्रदेश में पर्यटन के विस्तार एवं प्रोत्साहन के लिये मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया है। उक्त नवीन योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना व्यय हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5452

मद क्रमांक 2

प्रदेश में पर्यटन के विस्तार एवं प्रोत्साहन के लिये म.प्र. टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया है। उक्त नवीन योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की अंशपूजी में धनवेष्टन हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 38
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1 - 6

संचालनालय आयुष के अंतर्गत राष्ट्रीय मिशन ऑफ आयुष मेडिसिनल प्लांट मिशन हेतु नवीन मद में संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमक, प्रशिक्षण, परिवहन व्यवस्था, लघु निर्माण कार्य, दवाईयों का क्रय एवं अन्य प्रभार हेतु राशि रुपये 364.57 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,64,57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

संचालनालय आयुष के अंतर्गत राष्ट्रीय मिशन ऑफ आयुष मेडिसिनल प्लांट मिशन हेतु नवीन मद में दवाईयों के क्रय हेतु राशि रुपये 125.26 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,25,26,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 39
मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1 - 28

खाद्य विभाग के अंतर्गत गठित नवीन म.प्र. खाद्य आयोग हेतु राशि रुपये 131.85 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,31,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 29

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन का संचालन अनुभव प्राप्त प्रदेश स्तरीय स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन द्वारा संचालनालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल के माध्यम से कराया जाना है, इस हेतु रुपये 26.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 43
मुख्य शीर्ष 2204

मद क्रमांक 1 - 3

खेल प्रशिक्षण केन्द्र दतिया के संचालन हेतु नवीन योजना अंतर्गत राशि रुपये 30.00 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति बजट प्रावधान से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 7

खेल प्रशिक्षण केन्द्र शिवपुरी के संचालन हेतु नवीन योजना अंतर्गत राशि रुपये 142.26 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति बजट प्रावधान से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 45
मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 1

आदिवासी क्षेत्र की निम्नांकित योजनाओं हेतु राशि रुपये 14705.83 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

क्र. योजना का नाम	जिला	लागत	सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर में)	प्रति हेक्टर लागत	अनुदान की राशि
1. निवारी कला तालाब	सागर	3119.75	950	3.28	100
2. अमरपुरा कला तालाब	रतलाम	463.33	160	2.90	100
3. मांडवी तालाब	रतलाम	494.04	145	3.41	100
4. सतधारा तालाब	टीकमगढ़	1973.89	570	3.46	100
5. खटोला काम्पलेक्स प्रोजेक्ट	सागर	4911.10	1415	3.47	100
6. घाट बिरोली तालाब	बेतुल	3743.72	1070	3.50	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 48
मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1

नर्मदा मालवा-गंभीर लिंक उद्बहन सिंचाई योजना के अंतर्गत रुपये 200.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

नर्मदा नदी के किनारे ग्राम जैत जिला सीहोर में नदी के दाये तट पर नवीन घाट का निर्माण किया जाना है। इस हेतु रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 50
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

संचालनालय उद्यानिकी के अन्तर्गत मकान किराये भत्ते के लिए नवीन विस्तृत शीर्ष मकान किराया भत्ता खोला गया है। उक्त व्यय की पूर्ति बजट की बचत से की जाएगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्रों का विकास योजना हेतु राशि रुपये 50.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 52
मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 1

संचालक चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत कार्यालय भवन के विद्युत रेनोवेशन हेतु राशि रुपये 19.21 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,21,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 2 - 9

संचालक चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालयों के लिये सफाई, मशीनों का अनुरक्षण, दवाओं का क्रय, खपने वाला सामान तथा वेतन हेतु राशि रुपये 50.45 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,45,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

संचालक चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर हेतु मरीजों के हितों के लिये राशि रुपये 3.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

संचालक चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत चिकित्सा गारंटी योजना अंतर्गत इंडोर एवं आउटडोर रोगियों को दवाई एवं जांच हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

संचालक चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर को वाहन क्रय हेतु राशि रुपये 26.30 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13 - 16

संचालक चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत चिकित्सकों को अव्यवसायिक भत्ता, उपकरणों का क्रय, अनुरक्षण कार्य एवं वाहन क्रय हेतु राशि रुपये 30.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

संचालक चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत दन्तचिकित्सा महाविद्यालय के अधिकारी/कर्मचारियों के संधारण अनुदान वेतन इत्यादि हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

संचालक चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा का क्रियान्वयन के लिये निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था हेतु राशि रुपये 40.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 19

परियोजना संचालक, परियोजना के क्रियान्वयन इकाई हेतु स्टेट कैसर इन्स्टीट्यूट जबलपुर की स्थापना के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

परियोजना संचालक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई के अंतर्गत संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अधीन निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 40.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 53
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1,3-4

आयुक्त आदिवासी विकास के अंतर्गत प्राथमिक शालायें, पंचायती एवं संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 15.00 करोड़ 13.00 करोड़ एवं 16.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 44,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2,5

आयुक्त आदिवासी विकास के अंतर्गत प्राथमिक शालायें पंचायती एवं संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वित करने हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 6.00 करोड़ एवं 8.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6,8,10

आयुक्त आदिवासी विकास के अंतर्गत हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्डरी शालायें हेतु पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वित करने हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 3.00 करोड़, 3.00 करोड़ एवं 4.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7,9,11

आयुक्त आदिवासी विकास के अंतर्गत हाईस्कूल एवं जिला पंचायतों को सहायता हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 1.50 करोड़, 1.50 करोड़ एवं 2.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 12-14

प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु राशि रुपये 1200.00 करोड़ का अतिरिक्त केन्द्रांश का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55

मद क्रमांक 1 - 7

महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना अंतर्गत राशि रुपये 700 का प्रतीक प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 700 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 - 10

महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत एनीमिया से बचाव एवं इसके दुष्परिणामों के प्रचार-प्रसार हेतु लालिमा योजना अंतर्गत राशि रुपये 152.22 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,52,22,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

उज्जवला योजना के क्रियान्वयन हेतु 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई) हेतु रुपये 65.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 65,00,00,000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

उज्जवला योजना के क्रियान्वयन हेतु 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

उज्जवला योजना के क्रियान्वयन हेतु 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 56

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 1

आयुक्त हाथकरघा एवं हस्तशिल्प के उपयोग हेतु एक नवीन वाहन का क्रय किया जाना है। इस हेतु राशि रुपये 7.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 60

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 1

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत राशि रुपये 7725.41 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 77,25,41,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

आयुक्त आदिवासी विकास के अंतर्गत नगर पालिकाओं को सहायता हेतु नगरीय निकायों के माध्यम से योजना क्रियान्वित करने हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 6.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2,4

आयुक्त आदिवासी विकास के अंतर्गत नगर पालिकाओं को सहायता हेतु राशि रुपये 1.30 करोड़ एवं 1.50 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3,5

आयुक्त आदिवासी विकास के अंतर्गत नगर पालिकाओं को सहायता हेतु माध्यमिक शिक्षा के लिये ग्राम और शहरी निकायों को वित्तीय सहायता हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 1.00 करोड़ एवं 1.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 67
मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 1

मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय के अधीन चिकित्सालयों संस्थानों के अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 30.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 2

विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईव्हीएम) एवं व्ही.व्ही.पी.ए.टी. के लिये वेयर हाऊस/गोडाउन का निर्माण हेतु रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3,7

माननीय उच्च न्यायालय के लिये 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं की अदायगी हेतु राशि रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4216

मद क्रमांक 4-6


लोक निर्माण विभाग के में सामान्य, अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत शासकीय आवास गृहों के निर्माण हेतु प्रतीक प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

खनिज विभाग के अंतर्गत अधूरे कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु रुपये 381.52 लाख की आवश्यकता है।


अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,81,52,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।



शुद्धि पत्र

वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक अनुमान हेतु निम्नानुसार शुद्धि पत्र जारी किया जाता है:-

क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक	मांग संख्या एवं मुख्य शीर्ष	मद क्रमांक	मुद्रित	संशोधित पढ़ा जावे
1.	59	23-4700	1	पहली पंक्ति में उल्लेखित राशि रुपये "423400.00 लाख"	"4234.00 लाख"
2.	59	23-4700	1	तालिका शीर्षक के स्तम्भ 6 में "प्रति हेक्टर लागत"	"प्रति हेक्टेयर लागत (रुपये लाख में)"
3.	59	23-4700	1	तालिका शीर्षक के स्तम्भ 7 में "अनुदान राशि"	"अनुदान की राशि (रुपये में)"
4.	59	23-4700	1	तालिका के स्तम्भ 4 में "423400"	"4234.00"
5.	59	23-4700	1	तालिका के स्तम्भ 6 में "133.56"	"1.3356"
6.	60	23-4702	10	तालिका शीर्षक के स्तम्भ 4 में "लागत"	"लागत (रुपये लाख में)"
7.	60	23-4702	10	तालिका शीर्षक के स्तम्भ 6 में "प्रति हेक्टर लागत"	"प्रति हेक्टेयर लागत (रुपये लाख में)"
8.	60	23-4702	10	तालिका शीर्षक के स्तम्भ 7 में "अनुदान की राशि"	"अनुदान की राशि (रुपये में)"
9.	61-62	24-5054	1,2 एवं 3	तालिका शीर्षक के स्तम्भ 4 में "अनुमानित लागत"	"अनुमानित लागत (रुपये लाख में)"
10.	61-62	24-5054	1,2 एवं 3	तालिका शीर्षक के स्तम्भ 5 में "अनुदान की राशि "	"अनुदान की राशि (रुपये में)"
11.	63-64	24-5054	4,5 एवं 6	तालिका के स्तम्भ 4 के शीर्षक में निरंक	"लम्बाई (किलोमीटर में)"
12.	63-64	24-5054	4,5 एवं 6	तालिका शीर्षक के स्तम्भ 5 में "अनुमानित लागत"	"अनुमानित लागत (रुपये लाख में)"
13.	63-64	24-5054	4,5 एवं 6	तालिका शीर्षक के स्तम्भ 6 में "अनुदान की राशि "	"अनुदान की राशि (रुपये में)"
14.	68	45-4702	1	तालिका शीर्षक के स्तम्भ 4 में "लागत"	"लागत (रुपये लाख में)"
15.	68	45-4702	1	तालिका शीर्षक के स्तम्भ 6 में "प्रति हेक्टर लागत"	"प्रति हेक्टेयर लागत (रुपये लाख में)"
16.	68	45-4702	1	तालिका शीर्षक के स्तम्भ 7 में "अनुदान की राशि "	"अनुदान की राशि (रुपये में)"


 (ज्योति मलैया)
 भारसाधक सदस्य

दिनांक - 24.07.2017